न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 307 सन् 2016

पंजीयन दिनांक 01.09.2016

हीरालाल पिता गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

विरुद्ध -अपीलांट

सूरजमल पिता मोडीराम जाति ब्राह्मण–मृतक के बजाय

1. भगवानी बाई पत्नि सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. किशनलाल पिता सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. कंचनदेवी पुत्री सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. रेखा देवी पुत्री सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2. नगजीराम पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. मोतीराम पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. खेमराज पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. डालचन्द पिता मोतीराम जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. भवानीशंकर पिता मोतीराम जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. मुकेश कुमार पिता मोतीराम जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. प्रभु पिता टेकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9. कैलाश पिता टेकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10. तुलसीबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
11. गंगाबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
12. संतोषबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
13. धापुबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
14. लक्ष्मण पिता छोगा जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
15. शांतिबाई पिता छोगा जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
16. नारायण पिता पोखर जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा घोसुण्डा जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
18. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 340/2012 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015

उपस्थित- 1. दिनेश चन्द दायमा -अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट -रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/4
3. सुमित गर्ग -रेस्पोडेन्ट सं. 17
4. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पो.सं. 18

(2) प्रकरण संख्या - डिक्री 318 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 01.09.2016

हीरालाल पिता गोपाल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
-अपीलांट

विरूद्ध

1. सूरजमल पिता मोडीराम जाति ब्राह्म्ण-मृतक के बजाय
भगवानी बाई पत्नि सूरजमल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. किशनलाल पिता सूरजमल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. कंचनदेवी पुत्री सूरजमल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. रेखा देवी पुत्री सूरजमल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. नगजीराम पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. मोतीराम पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. खेमराज पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
8. डालचन्द पिता मोतीराम जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
9. भवानीशंकर पिता मोतीराम जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
10. मुकेश कुमार पिता मोतीराम जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
11. प्रभु पिता टेकचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
12. कैलाश पिता टेकचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
13. तुलसीबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
14. गंगाबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
15. संतोषबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
16. धापुबाई पुत्री टेकचन्द जाति ब्राह्म्ण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

17. लक्ष्मण पिता छोगा जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
18. शांतिबाई पिता छोगा जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
19. नारायण पिता पोखर जाति ब्राह्मण निवासी तुम्बडिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
20. पंजाब नेशनल बैंक शाखा घोसुण्डा जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल घोसुण्डा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
21. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 340/2012 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016

उपस्थित- 1. दिनेश चन्द दायमा -अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट -रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 से 1/4
3. सुमित गर्ग -रेस्पोडेन्ट सं. 17
4. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक-रेस्पो.सं. 18

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक 29.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा रोजडा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 190 मे दर्ज आराजी नम्बर 329,330,331,332,333/961 कुल किता 5 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर व खाता सं. 118 मे अंकित आराजी नम्बर 265, 266, 267, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 290, 292/956, 320, 343, 344, 345, 346 कुल किता 19 कुल रकबा 5.35 व खाता सं. 119 मे अंकित आराजी नम्बर 285,328 कुल किता 2 कुल रकबा 0.99 हेक्टेयर जो खातेदारी मे अंकित होकर दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 16 के मूल पुरुष सालगराम उर्फ सवाईराम की पैतृक कृषि आराजीयात है। स्वर्गीय सालगराम के 3 पुत्र चुन्नीलाल,मोडीराम व गोपाल हुए। सालगराम के निधन के उपरान्त विरासत से उक्त आराजीयात मे तीनो पुत्रो का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है किन्तु सारी कृषि आराजीयात एक पुत्र गोपाल ने अकेले ने अपने नाम दर्ज करा ली। उक्त आराजीयात मे उनका जायन्दा पुत्र मोडीराम चुन्नीलाल का भी हक व हिस्सा निहित था। मोडीराम अपने निहित हिस्से की कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपने परिवार का सजरा भी प्रस्तुत किया है। स्वर्गीय मोडीराम के मृत्यु के बाद विरासत से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी उनका जायन्दा पुत्र होकर 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है जिससे सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी पैतृक कृषि आराजीयात होने से 1/3 हिस्से पर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी होने से वादपत्र घोषणात्मक डिक्री पेश किया। विवादित कृषि आराजीयात होकर रेस्पोडेन्ट वादी का इसमे 1/3 हिस्सा निहित होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपने हिस्से का विभाजन करा खाता अलग से कायम कराना चाहता है जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र बंटवाडा कृषि आराजीयात पेश है। वर्तमान मे सम्पूर्ण आराजीयात मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

सं. 2 से 16 का नाम दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट वादी को उसके निहित हक हिस्से से जबरन बेदखल कर आराजीयात को हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक होने से वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा पेश है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने दिनांक 22.06.2012 को वाद कारण पैदा होना बताते हुए घोषणा, बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा कृषि आराजीयात प्रस्तुत की है।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 18 प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.09.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 18 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलान्ट व प्रतिवादी सं. 2 से 18 तामीले जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 4,8,16,18,19,20 बावजूद सूचना अनुपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 5 से 7, 9, 11 से 15 व 17 के सम्मन प्राप्त नही होने से उन्हे नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त पत्रावली जवाबदावा व तामील हेतु नियत थी। इसी दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत का गठन किया गया। दिनांक 10.06.2015 को पत्रावली कैम्प कोर्ट घोसुण्डा मे नियत की गई। दिनांक 10.06.2018 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात् विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाडा तलब किया जाकर दिनांक 28.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट तुम्बडिया मे नियत की गई। उक्त पत्रावली मे प्राप्त फर्द बंटवाडे के अनुसार दिनांक 28.06.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं.1 की ओर से इस न्यायालय मे अपीले म्याद बाहर होने से दोनो अपीले कानून म्याद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना व 'शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय मे दिनांक 30.08.2016 को अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक डिक्री 307/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 318/2016 अलग-अलग दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 17 व 18 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित आये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र की पत्रावली एक ही होकर एक ही पत्रावली मे समान पक्षकार के मध्य प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई व उसके पश्चात् फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिससे दोनो अपीलो मे समान पक्षकार होने व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एक ही होने से दोनो अपीलो की एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति अपील क्रमांक डिक्री 307/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 318/2016 मे शामिल की जावे।

उक्त दोनो ही अपीले अपीलान्ट की ओर से दोनो ही अपीले म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलो मे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रुत्तत किया गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम दोनो पत्रावलियो मे स्वीकार किया जाकर अपील क्रमांक डिक्री 307/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 318/2016 अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तामील व जवाबदावे मे विचाराधीन था। उक्त वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 10 का स्वर्गवास हो चुका था। पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 10 की नाम कायमी की कोई कार्यवाही रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की पैतृक सम्पत्ति साबित हो, फिर भी अपरिपक्व वादपत्र को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना साक्ष्य व सबूत के बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्रीपारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे अपीलान्ट प्रतिवादी की अनुपस्थिति मे फर्द बंट्वाडा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री लोक अदालत के तहत पारित की गई है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय की प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 लोक अदालत की होकर बिना राजीनामे की होने से व मृतक के विरूद्ध होने से न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 244 से उक्त दोनो ही निर्णय व डिक्री की अपीले स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 17 वादीगण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात मे अपने हक व हिस्से की घोषणा कराने व उसी अनुसार बंटवाडा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार लोक अदालत मे नियत की गई। जिसमे पत्रावली का परीक्षण किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.06.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे विवादित कृषि आराजीयात की मौके की स्थिति के अनुसार कमिश्नर के द्वारा फर्द बंट्वाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त पत्रावली को दिनांक 28.06.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट तुम्बडिया मे उभयपक्ष को सुनकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिनुसार होकर दोनो अपीलो को निरस्त करने का अनुरोध किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 17 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात पर पंजाब नेशनल बैंक का भोनीराम, कैलाश, गंगा व धापु पर रहन दर्ज था। जिससे उक्त रहन को यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 18 राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे मौजा रोजडा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 190 मे दर्ज आराजी नम्बर 329,330,331,332,333/961 कुल किता 5 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर व खाता सं. 118 मे अंकित आराजी नम्बर 265, 266, 267, 272, 273, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 289, 290, 292/956, 320, 343, 344, 345, 346 कुल किता 19 कुल रकबा 5.35 व खाता सं. 119 मे अंकित आराजी नम्बर 285,328 कुल किता 2 कुल रकबा 0.99 हेक्टेयर जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 16 प्रतिवादी के खातेदारी मे अंकित होकर दर्ज रेकार्ड है। अपनी पैतृक कृषि आराजीयात होना बताते हुए घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र के साथ पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे की दस्तावेजी साक्ष्य से पैतृक सम्पत्ति साबित हो। विचारण न्यायालय मे तामील एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जवाबदावे हेतु पत्रावली नियत थी। अपरिपक्व वादपत्र को बिना सूचना दिये प्रतिवादी सं. 10 जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक के विरूद्ध कैम्प कोर्ट घोसुण्डा मे नियत की जाकर बिना राजीनामे के दिनांक 10.06.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 की पालना मे कमिश्नर से फर्द बंटवाडा तलब किया गया। जिसमे कमिश्नर के द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित किये बगैर बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उसी फर्द बंटवाडे के आधार पर उक्त पत्रावली को बिना पक्षकारान को सूचना दिये लोक अदालत मे नियत किया जाकर दिनांक 28.06.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत मृतक के विरूद्ध पारित की गई है जो विधि अनुरूप नही होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 307/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 318/2016 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 244 प्रकरण पर चस्पा होते है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 अपील क्रमांक डिक्री 307/2016 एवं अपील क्रमांक डिक्री 318/2016 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 340/2012 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2016 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक की नाम कायमी करा शेष प्रतिवादीगण की विधिवत तामील करवाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 18 प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर उभयपक्ष के अभिवचनो के अनुसार पत्रावली मे आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दिवानी के तहत तनकियात विरचित की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी के अनुसार तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे। निर्णय की एक-एक प्रति अपील क्रमांक डिक्री 307/2016 एवं अपील क्रमांक डिक्री 318/2016 मे संलग्न की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)